सभी पत्र भारत सरकार उद्योग मंत्रालय को पदनाम से भेजे जाने चाहिए, नाम से नहीं ।

फैक्स: 011-23062626

फा.सं. 15(7)2011-डीबीए-II/एनईआर खण्ड-II

भारत सरकार

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग)

उद्योग भवन, नई दिल्ली-110011

दिनांक : 4 जुलाई, 2014

सेवा में,

प्रधान सचिव (उद्योग)
मेघालय सरकार, मिन्तदू (अपर सचिवालय) भवन
शिलांग - 793001, मेघालय

विषय: परिवहन राजसहायता योजना -1971 - पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) पर लागू होना।

महोदय

अधोहस्ताक्षरी को टीएसएस, 1971 से संबंधित दिनांक 24 मई, 1988 की अधिसूचना का हवाला देने, जिसके द्वारा 17 मार्च, 1987 के आदेश के पैरा 1(i) को संशोधित किया गया है तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र में तैयार माल के अन्तर राज्य संचलन पर परिवहन राजसहायता की अनुमति दी गई है तथा इस विभाग के दिनांक 04.10.2013 के पत्र का भी हवाला देने का निदेश हुआ है जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि परिवहन राजसहायता योजना, 1971 के प्रावधान के अनुसार पूर्वोत्तर राज्यों में अंतिम गंतव्य के निकटतम रेलवे स्टेशन से आगे तैयार माल के अन्तरराज्य संचलन के लिए व्यय की गई परिवहन लागत के लिए राजसहायता देय नहीं है। उसके बाद इस विभाग को कई प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें पूर्वोत्तर क्षेत्र में तैयार माल के अन्तर राज्य संचलन के संबंध में परिवहन राजसहायता योजना (टीएसएस) 1971 के अधीन परिवहन राजसहायता के लिए इसकी स्वीकार्यता से संबंधित निर्णय की समीक्षा करने के अनुरोध किये गये हैं।

2. एकीकृत वित्त स्कंध (आईएफडब्लयु), और मुख्य लेखा नियंत्रक के कार्यालय, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) के परामर्श से इस विभाग में मामले की जांच कर ली गई है तथा सावधानीपूर्वक जांच के बाद अब यह स्पष्ट किया जा रहा है कि पूर्वोत्तर में तैयार माल के अन्तर राज्य संचलन के मामले में वितरण बिन्दु के निकटतम रेलवे शीर्ष से आगे जहां तैयार माल वितरण किया जा रहा है की परिवहन लागत को भी परिवहन राजसहायता योजना, 1971 में राजसहायता के लिए शामिल किया जाना है।

3. ऐसे मामलों में औद्योगिक इकाई के स्थान से सड़क द्वारा निकटतम रेलवे स्टेशन तक तथा उसके बाद रेल द्वारा उस स्थान के निकटतम रेलवे स्टेशन तक जहां तैयार माल प्राप्त किया जाना है और उसके बाद सड़क

द्वारा उस रेलवे स्टेशन से उस स्थान तक जहां तैयार माल प्राप्त किया गया है वास्तविक परिवहन लागत अथवा संचलन की लागत इनमें जो भी कम हो को शामिल किया जाएगा।

4. तदनुसार विभाग पहले का दिनांक 04.10.2013 का समसंख्यक पत्र वापस लिया जाता है।

5. यह भी निर्णय किया गया कि जिन दावों का पहले से ही निपटान कर दिया गया है उन्हें पुन: खोलने/उन पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है।

भवदीय,

(अरूण कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 23063096

प्रति:

1. प्रधान सचिव (उद्योग), असम, अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, और त्रिपुरा सरकार।
2. निदेशक (उद्योग), उद्योग निदेशालय, असम सरकार, अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, सिक्किम और त्रिपुरा सरकार।
3. सीएमडी, एनईडीएफआई, एनईडीएफआई हाउस, जीएस रोड़, गोवाहाटी, असम

प्रति निम्नलिखित को भी प्रेषित:

1. एस आईपीपी के प्रधान स्टाफ अधिकारी,
2. एएसएंडएफए के निजी सचिव, डीआईपीपी
3. सीसीए के निजी सचिव, डीआईपीपी
4. निदेशक (आई एफ विंग) के निजी सचिव, डीआईपीपी
5. एनआईसी, उद्योग भवन, वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।

(अरूण कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 23063096